Bill No. 11 of 2022

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In sub-section (8) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956),-

(i) for the existing expression "where before 17th June, 1999", the expression "where before 31st December, 2021" shall be substituted; and

(ii) in proviso, the existing clauses (i) and (ii) shall be renumbered as (ii) and (iii) respectively and before the clause (ii) so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(i) nothing in this sub-section shall apply to any land in respect of which any allotment has been made or Patta given by a Housing Co-operative Society after 16th June, 1999;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is of the view that there are certain difficulties in conversion of agricultural lands which have been used for non-agricultural purposes under sub-section (8) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. The said sub-section applies on agricultural land held and used for non-agricultural purposes before 17th June, 1999.

In last two decades, socio-economic growth and various other reasons have led to rapid urbanization in urban areas of the State. Various kinds of non-agricultural developments have taken place on agriculture lands. Due to this cut-off date of 17th June, 1999 problems are being faced in conversions of such non-agricultural developments in urban areas.

In the larger interest of public already inhabiting and carrying on their livelihood on such lands which have been used for non-agricultural purposes after 17th June, 1999, the State Government is of the opinion that in order to facilitate conversion of these lands and to provide such people with basic rights of minimum infrastructure facilities, the cut-off date of 17th June, 1999 should be extended to 31st December, 2021. The State Government is also of the view that any land in respect of which any allotment or Patta has been given by a Housing Co-operative Society after 16th June, 1999 should be excluded from the scope of sub-section (8) of section 90-A. Accordingly, sub-section (8) of section 90-A is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956
(Act No. 15 of 1956)

XX XX XX XX XX

90-A. Use of agricultural land for non-agricultural purpose.- (1) to (7) xx xx xx xx xx

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before 17th June, 1999 any person, holding any land for agricultural purposes in an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/ or by executing power of attorney and/or Will or in any other manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in this behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Cooperative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through

such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

(i) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf;

(ii) no proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

2022 का विधेयक सं.11

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (8) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "17 जून, 1999 के पूर्व" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक में, विद्यमान खण्ड (i) और (ii) को क्रमश: (ii) और (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (ii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(i) इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसी किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा 16 जून, 1999 के पश्चात् कोई आबंटन किया गया है या पट्टा दिया गया है;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार का यह विचार है कि ऐसी कृषि भूमियों, जिनका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया है, के संपरिवर्तन में कतिपय कठिनाइयां हैं। उक्त उप-धारा 17 जून, 1999 से पूर्व गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोग में ली गयी कृषि भूमि पर लागू होती है।

विगत दो दशकों में, सामाजिक-आर्थिक विकास से और विभिन्न अन्य कारणों से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में तीव्र नगरीकरण हुआ है। कृषि भूमियों पर विभिन्न प्रकार के गैर-कृषिक विकास हुए हैं। 17 जून, 1999 की इस अंतिम तारीख के कारण नगरीय क्षेत्रों में ऐसे गैर-कृषिक विकासों के संपरिवर्तन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी भूमियों, जो कि 17 जून, 1999 के पश्चात् गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली गयी हैं, पर पहले से ही निवास कर रही और अपनी जीविका चला रही जनता के वृहत् हित में, राज्य सरकार का यह मत है कि इन भूमियों के संपरिवर्तन को सुकर बनाने के लिए और ऐसे व्यक्तियों को न्यूनतम अवसंरचना सुविधाओं के आधारभूत अधिकार उपलब्ध करवाने के लिए, 17 जून, 1999 की अंतिम तारीख को 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार का यह भी मत है कि ऐसी किसी भूमि, जिसके संबंध में किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा 16 जून, 1999 के पश्चात् कोई आबंटन किया या पट्टा दिया गया है, को धारा 90-क की उप-धारा (8) की परिधि से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 90-क की उप-धारा (8) यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

90-क. कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग.- (1) से (7) XX XX XX XX XX

(8) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी नगरीय क्षेत्र की नगरयोग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने 17 जून, 1999 के पूर्व ऐसी भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या उसके भाग के तात्पर्यित गैर-कृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है, वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवर्सित किये जाने के दायी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान का आदेश देगा और तदुपरान्त उक्त भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार, किसी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या उनको, या तो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार और हित इस उप-धारा के अधीन

पर्यवसित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हों, या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या विक्रय के करार या मुख्तारनामे या वसीयत या भूमि के अंतरण के लिए तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर, उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के स्थानीय प्राधिकारी को संदाय के अध्यधीन रहते हुए, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु -

(i) इस उप-धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।

(ii) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां या आदेश ऐसी भूमियों के संबंध में आरम्भ नहीं की जायेंगी या नहीं किये जायेंगे जिनके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.33), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं.11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

(9) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

Bill No. 11 of 2022

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, **Minister-Incharge**)

2022 का विधेयक सं.11

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री)**